P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-1* April - 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

बालश्रम एवं मानवाधिकार (अंधेरे में उजाले की किरण)

विजयलक्ष्मी मिश्रा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज,
गोरखपुर

सारांश

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक अवधारणा का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद हुआ। विश्व में सभी मानवों को समान अधिकार दिलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रुजवेल्ट बनी। मानवाधिकार प्रारुप की सहमति 10 दिसम्बर 1948 को प्राप्त हुयी,जिसके अन्तर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल किया गये हैं' मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। यह एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें दुनिया के तमाम बन्धनों को दर किनार रखकर ईश्वर की सर्वप्रथम रचना'मानव' को मात्र 'मानव' माना गया है। इसमें जाति ,भाषा ,क्षेत्र ,लिंग व भेदभाव के बगैर समस्त मानव जाति की गरिमा का सम्मान मुख्य लक्ष्य है।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार को स्वीकृति प्रदान की । इसमें 30 धारायें हैं । पहली दो धारायें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों का निर्माण करतीं हैं तथा अन्य धारायें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ,शैक्षिक तथा समान जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकारों का प्रावधान करती हैं। अतः मानवाधिकार के बेहतर संरक्षण के लिये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्यों ,राज्यों के राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन के लिये भारत की संसद ने 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया।

अन्य समस्याओं की भांति बालश्रम जैसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का भी निदान अति आवश्यक हो गया है। आज बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। भारत में स्थिति और भी विस्फोटक है, विश्व के कुल श्रमिकों में 20–25 % अकेले भारत में है। आज करोड़ों बच्चे गुलामी से बदतर हालात से जूझ रहें हैं और जोखिम वाले कार्य करने को विवश हैं। बालश्रम शाब्दिक रुप से दो शब्दों की संयुक्त कृति है बाल एवं श्रम। बाल का अर्थ बालक की अवस्था तथा श्रम से तात्पर्य श्रम,कार्यभार एवं सामर्थ्य से है।

विश्व में बाल श्रमिकों का होना बालकों के मानवाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि बालश्रम के कारण ही वे अपने जीने के अधिकार,विकास, सुरक्षा व सहभागिता के मौलिक अधिकारों से वंचित होकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिये कार्य में लग जातें हैं।परिणाम स्वरुप बालक का शारिरीक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विद्यालय जाने की अवस्था में इनका शोषण होता है,पेन पकड़ने की उम्र में इन्हे औजारों को पकड़ना पड़ता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में इन्हे कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। रोटी तो दूर पुराने मैले कपड़े पहनने को विवश है तथा मलिन बस्ती में रहने को मजबूर हैं।

बचपन में बचपन को मोहताज ये बालक काम करते हुये मिल जायेंगें। यह स्थिति स्वस्थ्य समाज के लिये घातक है। इसके लिये अनिवार्य है कि बालकों के मानवाधिकारों को अधिक व्यापक रुप में देखा जाना चाहिये। इसमें न केवल वे अधिकार हैं जो कि उसे मानव के रुप में प्राप्त हैं वरन् वे अधिकार भी शामिल हैं जो एक बालक होने के नाते उन्हें विशेष रुप से प्राप्त होने चाहिये, इन्हे ही मानवाधिकार की संज्ञा दी जा सकती है।

मानवाधिकार के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि ' सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुये हैं अतः वह अधिकारों और महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवके और चेतना है। अतः उन्हे परस्पर भाई चारे के भाव से बर्ताव करना चाहिये।

मानवाधिकार का अनुच्छेद 3' प्रत्येक प्राणी को जीवन,स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है

मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में' अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध किया गया है।'

मानवाधिकार के अनुच्छेद 6 के अनुसार' हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रुप में मान्यता प्राप्ति का अधिकार है'।

अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि संविधान के अन्तर्गत बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अनेक प्रयास किये गये हैं और उनकी स्थिति में भी सुधार आया है। लेकिन समाज में उन्हे वांछित स्थान दिलाने में मानवाधिकार विशेष रुप से सक्रिय है। ये अधिकार तभी कारगर हो सकतें हैं जब हमारे सम्पूर्ण समाज की सोच , रवैये और पूर्वाग्रह पूर्ण धारणाओं में भी बालकों के प्रति सकारात्मक सोच रखी जाय।

मुख्य शब्द : बालश्रम, मानवाधिकार, जागरुकता।

प्रस्तावना

प्रायः प्रत्येक भाषा , संस्कृति और देश में कहा जाता है कि बच्चे राष्ट्र के भावी कर्णधार होतें हैं ,आज के बालकों में हम आने वाले कल को देख सकतें हैं। उनके नन्हे हाथों में ही देश की तकदीर का निर्माण निर्भर करता है, किन्तु जब इन्ही कोमल हाथों के धनी ये बच्चे कल कारखानों, खेत–खलिहानों, होटलों, सड़कों, घरों में कामगारों के रुप में अपने एवं अपने परिवार के पेट की अग्नि को शान्त करने के लिये जूझ रहे होते हैं तो उन्हे हम बाल श्रमिक की संज्ञा देते हैं।

उल्लेखनीय है कि बालश्रम का इतिहास वैसे तो सभ्यता की शुरुआत से ही प्रारम्भ होता है किन्तु वैश्वीकरण तथा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के तेज होने के बाद इसका रुप और भी बदतर हो गया है। बालश्रम किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ , मानवता के नाम पर कलंक तथा बच्चों के लिये अभिशाप है। लेकिन यह कुछ वर्गों के निजी स्वार्थों के रहते ये न केवल भारत या तीसरी दुनिया के देशों में बल्कि संसार के सम्पन्न ओर विकसित देशों में भी नियोजित प्रकार से तेजी से प्रचलित है।

वस्तुतः सम्पूर्ण मानव समुदाय के लिये कलंक और प्रत्येक राष्ट्र के लिये सामाजिक–आर्थिक बुराई के रुप में बोझ बन चुकी है। बालश्रम प्रथा,बालश्रमिकों को अभिशप्त जीवन जीने के लिये मजबूर कर रही है। अन्य समस्याओं की भांति इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का भी निदान अति आवश्यक हो गया है। आज बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। भारत में स्थिति और भी विस्फोटक है, विश्व के कुल श्रमिकों में 20 – 25 % अकेले भारत में है। आज करोड़ों बच्चे गुलामी से बदतर हालात से जूझ रहें हैं और जोखिम वाले कार्य करने को विवश हैं।

उद्देश्य

1 प्रस्तुत शोध लेख का उद्देश्य भारत मे बालश्रम की परिस्थितियों का अध्ययन करना।
2 बालश्रम के कारण एवं निवारण का अध्ययन करना।
3 बालश्रम रोकने में मानवाधिकार की भूमिका का अध्ययन करना।

बालश्रम की अवधारणा

बालश्रम शाब्दिक रुप से दो शब्दों की संयुक्त कृति है बाल एवं श्रम। बाल का अर्थ बालक की अवस्था तथा श्रम से तात्पर्य श्रम, कार्यभार एवं सामर्थ्य से है विभिन्न समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों एवं संगठनों ने अपने दृष्टिकोंण से बालश्रम को परिभाषित किया।

अमेरिका की संयुक्त राज्य राष्ट्रीय बाल श्रमिक समिति के अध्यक्ष होमर फॉक्स के अनुसार '' बच्चों द्वारा किया गया कोई कार्य जो कम से कम शिक्षा या मनोरंजन की उनकी आवश्यकता में विघ्न डालता है।''

''चौदह वर्ष की आयु से कम अवस्था का वह बच्चा जिसने पारिवारिक आय में योगदान दिया या जिसे लाभदायक तरीके से रोजगार दिया गया तथा जिससे एक श्रमिक जैसा व्यवहार किया गया वह बाल श्रमिक हैं (इण्डियन काउन्सिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर वर्किंग चिल्ड्रेन इन वर्किंग दिल्ली,ए स्टडी आफॅ देयर लाइफ एण्ड वर्क रिपोर्ट सोशल वेलफेयर, गर्वमेंट आफॅ इण्डिया,दिल्ली 1977 पृष्ठ 125)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार

''14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा कारखाने, खदान या खतरनाक उद्योगों में रोजगार पर नहीं लगाया जायेगा''

स्वैच्छिक संगठनों का दृष्टिकोंण

''वह बालक जो वेतन के लिये अथवा पारिवारिक आवश्यकताओं के लिये कार्य करता है, जिसे उसके बचपन और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया है उसे बाल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। अतः जो बालक वेतन के लिये कार्य करतें हैं तथा स्कूल नहीं जाते, उन्हे बाल श्रमिक कहा जाता सकता है।'

बालश्रम की उपर्युक्त परिभाषाओं की समीक्षा से ज्ञात होता है कि बालश्रम से तात्पर्य बाल जनसंख्या द्वारा किये गये ऐसे श्रम से है जिसमें कुछ आमदनी होती है , अथवा बिना आर्थिक उपार्जन में भी या सेवाओं में बालकों का उपयोग होता है। देश में बाल श्रमिकों की निरन्तर बढ़ती हुयी संख्या और उनके अनवरत शोषण को उद्देश्य से सर्वोच्च न्याययलय के निर्देश पर बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले निम्नांकित उद्योगों को खतरनाक उद्योगों में चिन्हित किया है –

1. माचिस एवं पटाखा विनिर्माण उद्योग शिवाकाशी (तमिलनाडु)
2. डायमण्ड पालिशिंग उद्योग, सूरत गुजरात।
3. कांच एवं चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
4. पीतल के बर्तन एवं कलात्मक वस्तु विनिर्माण उद्योग मुरादाबाद,उत्तर प्रदेश
5. हस्तनिर्मित कालीन उद्योग, मिर्जापुर–भदोही उत्तर प्रदेश।
6. ताला एवं चाकू उद्योग, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।

यह वास्तविकता है कि उपर्युक्त सभी उद्योगों के मालिको द्वारा बाल श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है।इसमें कारखाना अधिनियम के मुख्य प्रावधानों यथा सुरक्षा,श्रम कल्याण आदि के नियमों व उपनियमों का खुले आम उल्लंघन किया जाता है तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और उसके अधिकार पर तो विचार तक नहीं किया जाता है। निःसन्देह आज भी इन खतरनाक उद्योगों में बालश्रम के उन्मूलन के प्रावधानों को और अधिक कठोरता के साथ क्रियान्वित करना अति आवश्यक है।बालश्रम के दो मुख्यरुप दिखायी देता है–1 असंगठित क्षेत्र जिनमें होटल. ढाबा, फैक्ट्री, दुकान एवं घरेलू नौकर है। संगठित क्षेत्र में कालीन बुनाई, दियासलाई,चमड़ा,कांच एवं रत्न उद्योग आदि

बालश्रम के कारक

भारत जैसे विकासोन्मुख राष्ट्रों में बालश्रम को बढ़ावा देने वाले अनेक सामाजिक और आर्थिक घटक मौजूद हैं , इन कारकों में मुख्य रुप से गरीबी का दुष्चक्र, बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी, जनाधिक्य के कारण परिवारों पर आर्थिक दवाब तथा मुखिया सदस्यों की अल्प आय आदि को बालश्रम समस्या के लिये काफी हद तक उत्तरदायी हो सकतें हैं।

बालश्रम के कारकों में

1. निरक्षरता और अरुचिकर शिक्षा पद्धति ।
2. वंशानुगत एवं परम्परागत उद्योगों में बालकों का सकिय योगदान।
3. जनसंख्या वृद्धि के कारण बड़े परिवारों के पालन पोषण में कठिनाई ।
4. पारिवारिक आय का कम होना।
5. शहरीकरण एवं आधुनिकीकरण।
6. औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ते हुये कलकारखानें।
7. सस्ते एवं परिश्रमी मजदूरों क रुप में उपलब्ध बच्चे।

ग्रामीण एवं नगरीय बाल श्रम की प्रकृति में मौलिक अंतर कृषि एवं गैर कृषि से सम्बन्धित है।ग्रामीण क्षेत्र में बाल श्रमिक कृषि एवं उससे सम्बन्धित व्यवसायों,गृह एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत होतें हैं,जबकि नगरीय क्षेत्र में बाल श्रमिक औद्योगिक एवं अन्य कार्यों में कार्यरत देखे जा सकतें हैं । बाल श्रम के सभी कारक एक दूसरे से जुड़े रहतें हैं।

जैसे कि सर्वाधिक मुख्य कारक आर्थिक कारक है क्योंकि गरीबी, ऋणग्रस्तता ,कार्याभाव आदि कारणों से बच्चे मजदूरी के लिये बाध्य होतें हैं।असंगठित क्षेत्रों में कार्यत श्रमिको के लिए आय निम्न होने के कारण बच्चों की शिक्षा पर व्यय करना सम्भव नहीं है तथा घर की अजीविका चलाने के लिये बच्चों से मजदूरी करवाना विवशता है।

बालश्रम के कारणों में प्राकृतिक आपदायें आतीं हैं जैसे अकाल,बाढ़,पाला,भूकम्प,तूफान आदि कारण भी बाल श्रम की समस्या उत्पन्न करतें हैं।.जिससे निम्नवर्ग की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो जाती है तथा बच्चे मजदूरी करने को विवश होतें हैं।

बालश्रम के करणों में सामाजिक–सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक कारण भी प्रमुख है। हमारे समाज में बच्चों को परिवार के परम्परागत कार्य भी सिखाये जातें हैं। ये काम वे अपने घर पर ही रह कर करतें हैं जैसे जरी उद्योग गलीचा उद्योग ,नगीना व्यवसाय इत्यादि।

प्रशासनिक कारणों के अन्तगर्त बालश्रम उन्मूलन के नियमों में लचीलापन एवं इनका कठोरता से पालन नही होने के कारण इस समस्या को प्रोत्साहन मिल रहा है।

बालश्रम उन्मूलन के उपाय

वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने हेतु 3 संस्थाओं द्वारा बालश्रम उन्मूलन एवं बच्चों के विकास से सम्बन्धित प्रयास किये जा रहें है।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ
2. यूनिसेफ
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

आज मानव के अधिकारों की तरह बच्चों के जन्मजात अधिकार हैं। राष्ट्र संघ द्वारा पारित जिनेवा घोषणा में कहा गया है कि बालक को सामान्य विकास के लिये अपेक्षित साधन प्रदान करने चाहिये, वह बालक जो भूखा है उसे खिलाया जाना चाहिये,जो बीमार एवं पिछड़ा है उसे दवा व सहायता दी जानी चाहिये एवं अपराधी बालक को सुधारना चाहिये।

यूनिसेफ तो प्रत्यक्ष रुप से आलश्रम उन्मूलन में संलग्न नहीं है लेकिन सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग प्रदान करता है।

बालश्रम के विरुद्ध उभर रही चिन्ता का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को जाता है। जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ के अभिकरण के रुप में वारसा संधि के अन्तर्गत की गयी थी। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रम (आईपैक international program for alimination of child labour) के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बालश्रम उन्मूलन के लिये प्रयास होतें रहें हैं।भारत ने 1992 में आई पैक पर हस्ताक्षर किये। वर्तमान में राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना के माध्यम से कार्य किये जा रहें हैं।

भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु अग्रांकित अधिनियमों के माध्यम से विधिक और विकासात्मक उपाय किये जा रहें हैं–

1. कारखना अधिनियम –1948
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948
3. संविधानान्तर्गत नीति–निर्देशक सिद्धान्त–1950
4. बगान श्रम अधिनियम 1951
5. खान अधिनियम 1952
6. मोटर परिवहन कामगर अधिनियम 1961
7. बीड़ी और सिगार कामगर अधिनियम 1961
8. अनुबन्ध श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन)अधिनियम 1970
9. बंधुआ श्रम प्रणाली (समाप्ति) अधिनियम 1976
10. बालश्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986
11. राष्ट्रीय बालश्रम नीति 1987
12. बालश्रमिक सेल 1990
13. बाल सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय ऐजेण्डा 1998
14. मिल न्याय (सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम 2000
15. निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा (1998–2001)
16. बाल शिक्षा गारण्टी योजना 2001
17. राष्ट्रीय बाल चार्टर 2013

भारत में बाल श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान हेतु समितियों का गठन होता रहा है। जिसमें पी0 जी0 गजेन्द्रगड़कर 1969,हरिवंश कमेटी 1977,ने रिर्पोट प्रस्तुत की। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुरुपदस्वामी समिति 1979 है। इस समिति ने बालश्रम समस्या को गरीबी की देन बताया और इसे दूर करने हेतु अनेक सकारात्मक सुझाव प्रस्तुत किये। इसके अलावा सनद मेहता समिति, सिंघवी समिति आदि ने भी देश में बाल श्रमिकों की बढ़ती हुयी संख्या को चिन्तनीय विषय के रुप में प्रकट किया।

बाल श्रम का प्रभाव

बालश्रम का प्रभाव बालकों के शारीरिक, मानसिक ,संवेगात्मक एवं सामाजिक–आर्थिक सभी पक्षों पर समान रुप से पड़ता है। कारखानों में काम करने से बच्चे तपेदिक जैसी बीमारी के शिकार हो जातें हैं क्योंकि कारखानों में ईंट की दीवारों पर जो कालिख जमी रहती है ,जिसकी हवा प्रदूषित रहती है वे भट्टियां 1400 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जलतीं है। मिल मालिक आर्सेनिक और पोटेशियम जैसे खतरनाक रसायनों को काम में लेतें हैं जिससे बच्चों के फेफड़े पर जोर पड़ता है। दिल्ली ,

तमिलनाडू , आन्ध्र प्रदेश ओर महाराष्ट्र के करखानों में यह पता लगता है कि बहुत बडी संख्या में बालश्रमिकों की दशा अत्यन्त दयनीय है।

वे जीवित कंकाल नजर आतें हैं। निर्धन परिवार के होने के कारण अनेक बच्चे स्कूल नहीं गये हैं । अतः बालश्रम के कारण बच्चों को फेफड़े की बीमारियां, तपेदिक , आंख की बीमारियां हो जाती हैं और कुछ कार्य करते समय दुर्घटनाओं में जख्मी हो जातें हैं और कुछ बालकों की मृत्यु तक हो जाती है।

वैसे तो बालश्रम तथा बच्चों के शोषण पर अनेक कानूनी प्रतिबन्ध लगे हुये हैं । संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता है । अनेक कानूनों के बावजूद समस्या समाप्ज नहीं हो रही है। इसके लिये कतिपय सुझाव प्रस्तुत किये जा रहें है।

1. सरकार द्वारा काम करने की स्थितियों में सुधार किया जाय अर्थात घण्टे कम करना चाहिये।
2. न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाय।
3. विकास कार्यक्रम योजना का लाभ बाल श्रमिक के परिवार को निर्धारित होना चाहिये।
4. असंगठित क्षेत्रों में बच्चों का संरक्षण किया जाये।
5. बच्चों की रोटी , कपड़ा और मकान की अनिवार्य सरकार या समाजसेवी संगठनों द्वारा पूर्ण की जाय।
6. बालश्रम कानून का उल्लंघन करने वालों को कठोर दण्ड की व्यवस्था की जाये।
7. बालश्रम के विरोध में जनजागरुकता पैदा की जाय। उसके लिये समाचार पत्र , दूरदर्शन आदि संचार साधनों का प्रयोग किया जाये।

हाल ही में भारत सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु परियोजना आधारित दृष्टिकोंण अपनाया गया। इसके अन्तर्गत शिक्षा, छात्रवृत्ति–प्रोत्साहन, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल,खाद्य सहायता और व्यवसायिक मार्गदर्शन सम्मिलित है। ये सभी कार्य श्रम विभाग के कर्मचारियों, अध्यापकों तथा परियोजना अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से सम्पन्न किये जा रहें हैं तथा परियोजना अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से सम्पन्न किये जा रहें हैं तथा इनकी निगरानी के लिये मशीनरी वर्ग को सुदृण बनाया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत स्थापित विशिष्ट स्कूलों का बाल श्रमिकों की संख्या कम करने में सकारात्मक योगदान है। मिड डे मील कार्यक्रम से मिलने वाली खाद्य सुरक्षा भी बालश्रम उन्मूलन में उल्लेखनीय भूमिका अदा कर रही है। उपयुक्त सरकारी प्रयासों के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों का भी अमूल्य योगदान रहा है। बालश्रम के निवारण के लिये बालश्रमिकों को श्रम क्षेत्र से हटा उनके पुर्नवास अथवा शिक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित है।

अंधेरे में उजाले की किरन मानवाधिकार

मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। यह एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें दुनिया के तमाम बन्धनों को दरकिनार रखकर ईश्वर की सर्वप्रथम रचना को मानव मात्र माना गया है। इसमें जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग व भेदभाव के बगैर समस्त मानव जाति की गरिमा का सम्मान प्रमुख लक्ष्य है।

'' मानवाधिकारों को सार्वभौमिक अवधारणा का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद हुआ। विश्व में सभी मानवों को समान अधिकार दिलाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में एक मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रुजवेल्ट बनी। मानवाधिकार प्रारुप की सहमति 10 दिसम्बर 1948 को प्राप्त हुयी,जिसके अन्तर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक,सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल किया गये हैं' ।

मानवाधिकार में 30 धारायें हैं। पहली दो धारायें नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों का निर्माण करतीं हैं तथा अन्य धारायें आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा समान जीवन स्तर से सम्बन्धित अधिकारों का प्रावधान करतीं हैं। अन्तिम तीन धाराओं में स्पष्ट किया गया कि जो राष्ट्र इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था के सदस्य हैं उनके सभी नागरिक मानवाधिकार पाने के अधिकारी हैं।

आज भारत सहित विश्व के अनेक देश विभिन्न चुनौतियों एवं सम्भावनाओं के साथ 21वीं सदी में प्रवेश कर चुका है। जहां एक ओर प्रौद्योगिक सूचना एवं जनसंचार क्रान्ति का प्रभाव है तो दूसरी ओर आर्थिक उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की गूंज उच्च स्वर में सुनायी पड़ रही है।विकास के शिखर पर जहां एक ओर भारत विश्व की एक महाशक्ति बनने को अग्रसर है वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी, अशिक्षा ,लैंगिक असमानता, सांस्कृतिक क्षरण, पारिस्थितिकी असन्तुलन एवं बालश्रम जैसी समस्यायें मानवाधिकारों को प्रभावित कर रहीं हैं।

भारत जैसे विकासशील देश में जहां अशिक्षा , बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या सर्वाधिक रुप में व्याप्त है, वहां बालश्रम की समस्या अपने वीभत्स रुप में प्रकट होती है। बच्चों से उनका बचपन छीनकर उन्हे जिन्दगी की भागदौड़ में झोंक देना उनके मानवाधिकरों का हनन है। प्रस्तुत शोधालेख में बालश्रम एवं मानवाधिकार विषय के माध्यम से बालश्रम के कारण ,निवारण एवं इसकी समाप्ति में मानवाधिकार की भूमिका का एक प्रयास है।

भारत तथा प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार आयोग गठित करने का सुझाव न्यायविद् लक्ष्मीमल सिंघवी ने सन् 1988 में दिया।जिसकी स्थापना के लिये भारत के राष्ट्रपति ने एक आध्यादेश अनु0 123 (1) पारित किया। 18 दिसम्बर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण विधेयक पारित किया तत् पश्चात 8 जनवरी 1994 को एक अधिनियम बन गया, जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है।

विश्व में बाल श्रमिकों का होना बालकों के मानवाधिकार का उल्लंघन है क्योंकि बालश्रम के कारण ही वे अपने जीने के अधिकार,विकास, सुरक्षा व सहभागिता के मौलिक अधिकारों से वंचित होकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिये कार्य में लग जातें हैं।परिणाम स्वरुप बालक का शारिरीक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विद्यालय जाने की अवस्था में इनका शोषण होता

है,पेन पकड़ने की उम्र में इन्हे औजारों को पकडऋना पड़ता है।पौष्टिक भोजन के अभाव में इन्हे कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। रोटी तो दूर पुराने मैले कपड़े पहनने को विवश है तथा मलिन बस्ती में रहने को मजबूर हैं।

बचपन में बचपन को मोहताज ये बालक काम करते हुये मिल जायेंगें। यह स्थिति स्वस्थ्य समाज के लिये घातक है। इसके लिये अनिवार्य है कि बालकों के मानवाधिकारों को अधिक व्यापक रुप में देखा जाना चाहिये। इसमें न केवल वे अधिकार हैं जो कि उसे मानव के रुप में प्राप्त हैं वरन् वे अधिकार भी शामिल हैं जो एक बालक होने के नाते उन्हें विशेष रुप से प्राप्त होने चाहिये, इन्हे ही मानवाधिकार की संज्ञा दी जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ ,अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बालकों के मानवाधिकार की दिशा में विशेष रुप से कार्य किया है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात बाल श्रम समस्या के उन्मूलन के सम्बन्ध में समय समय पर कानून की व्यवस्था विद्यमान रही है तथा साथ ही बालकों से सम्बन्धित अधिनियम, न्यायिक निर्णय,संविधान सगठनों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालश्रम के कारण बालक अपने जीने के अधिकार विकास ,सुरक्षा व सहभागिता के मौलिक अधिकारों से वंचित होकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिये कार्य करने लग जातें हैं तो उसके शारीरिक व मानसिक विकास को अवरुद्ध करता है।यह उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होता हैं

निष्कर्ष

बाल अवस्था मानवता का सबसे कोमल एवं संवेदनशील समय होता है फिर भी बालकों के मानवाधिकारों को अधिक व्यापक रुप में देखा जाना चाहिये। इसमें न केवल वे अधिकार हैं जो कि मानव के रुप में प्राप्त हैं वरन वे अधिकार भी शामिल हैं जो एक बालक होने के नाते उन्हे विशेष रुप से प्राप्त होने चाहिये।बालश्रमिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये सरकार एवं प्रशासन को संवेदनशील दृष्टिकोंण अपनाना होगा एवं पूरी इमानदारी से नीतियों एवं कानूनों को लागू करना होगा । बालश्रमिक हमारे राष्ट्र के मानव संसाधन का महत्वपूर्ण अंग हैं। यदि इनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये भारत के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने का स्वप्न कभी साकार नहीं होगा क्यों कि जनसंख्या के इतने बड़े भाग के विकास के बिना राष्ट्र की प्रगति असम्भव है।

मानवाधिकार के प्रथम अनुच्छेद में वर्णित है कि 'सभी मानव प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुये हैं अतः वह अधिकारों और महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवेक और चेतना है। अतः उन्हे परस्पर भाई चारे के भाव से बर्ताव करना चाहिये। अतः वे सभी कार्य जो बालकों की चंचलता, मुस्कुराहट, बचपना आदि सभी को समाप्त कर देता है ऐसे बाल श्रम को रोकना आज समाज की महती आवश्यकता है।

आज समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा किये जा रहे इस कुकृत्य के कारण बाल श्रमिकों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और बालकों को मजदूर बनाकर उनके सम्पूर्ण विकास होने से पहले ही समाप्त कर उसके मानवाधिकार समाप्त कर दिये जातें हैं। जबकि मानवाधिकार का अनुच्छेद 3 'प्रत्येक प्राणी को जीवन, स्वाधीनता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है।' ऐसा कह कर प्रत्येक चर – अचर,के जीवन रक्षा की बात करता है। 'मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में 'अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध किया गया है।' जबकि बाल श्रम की अवधारणा ही अमानवीयता एवं यातना पर आधारित है। मजदूरी के आधार पर पारिश्रमिक ही बालकों के शोषण का आधार होता है।

बाल श्रम कई दिशाओं से मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की सीमा में आती है। यह एक ऐसा अपराध है जो भावी समाज के लिये खतरा बन रहा है । यह कृत्य सर्वप्रथम तो बालकों के मौलिक अधिकारों का खुला हनन कर रहा है। उन्हें भी शिक्षा, मनोरंजन , स्वास्थ्य का अधिकार है वह यदि चाहतें है कि उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हो तो उनको वे अधिकार अवश्य ही प्राप्त होना चाहिये।

दूसरे बालको को जीने के अधिकार, विकास, सुरक्षा एवं सहभागिता से दूर करना उनके मानवाधिकारों का हनन है। यदि जब बालकों को इस दुनिया में अधिकार प्राप्त नही होगा तो मानवाधिकार की संकल्पना भी बेमानी होगी।

इस अमानवीय किया को दूर करने के लिये अनिवार्य है कि देश में बालकों के मानवाधिकरों की महत्ता को समझा जाय तथा उन्हें मानवाधिकार संरक्षण प्रदान किया जाये। परिवार तथा समाज दोनों को कानून तथा मानवाधिकारों की जानकारी दी जाय । बालकों के प्रति अत्याचार एवं मानवाधिकार विषय पर संगोष्ठिया, सार्वजनिक सम्मेलनों ,भाषण, समाचार ,लेख आदि सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं। बालश्रम के सन्दर्भ में सामाजिक जागरुकता लाने के लिये बालकों की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। वे शिक्षित होकर अपने मानवाधिकारों को स्वयं समझ सकें तथा व्यर्थ में प्रताड़ित या शोषित होने पर आवाज उठा सकें।'बाल श्रम की समस्या मानवीय संवेदना, सहानुभूति व सहभागिता के बल पर ही सुलझाई जा सकती है। अतः समाज के प्रत्येक सदस्य में बालश्रम के प्रति जागरुकता होनी आवश्यक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डा0 सिंह ,संजय –संविधान और मानवाधिकार , दिल्ली पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली प्रो0 त्रिपाठी , मधुसूदन–भारत में मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली।*
2. *डा0 टण्डन, उमा रानी– उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक आलोक प्रकाशन, लखनउ।*
3. *नारंग ए0एस0 2010– भारतीय शासन एवं राजनीति, गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली*
4. *देसाई मेघनाद 2008–बालश्रम समस्यायें एवं समाधान योजना, नई दिल्ली*
5. *शर्मा सुभाष 2009–भारत में मानवाधिकार, नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया,नई दिल्ली*
6. *प्रतियोगिता दर्पण 2005।*
7. *योजना सितम्बर 2016।*
8. *कुरुक्षेत्र जनवरी 2006।*
9. *कुरुक्षेत्र नवम्बर 2007।*
10. *http://www.google.com/childlabour .in .*